न्यायालय, राजस्व परिषद (खण्डपीठ) उत्तराखण्ड़, देहरादून।

रिव्यू प्रा0प0सं0–09 / 2009–10 अन्तर्गत धारा–220 भू0रा0अधि0

शिवांग माथुर पुत्र सुरेश चन्द, निवासी– 3 रामपुर मण्डी रोड़, देहरादून।

बनाम

1– तहसीलदार, विकासनगर, जिला देहरादून, 2. सोहन लाल पुत्र खजान सिंह, निवासी–खेरी मेरठ द्वारा मुख्तारेआम कुलदीप पुत्र सत्यपाल सिंह, निवासी–22 राम विहार, बल्लूपुर, देहरादून एवं 3 से 11 औपचारिक उत्तरदातागण।

उपस्थित : एस0 रामास्वामी, अध्यक्ष, एवं
श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता पुनर्विलोकन प्रार्थी : श्री विजय कुमार गुप्ता।

आदेश।

यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पुनर्विलोकन प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी वर्ष 2010 शिवांग माथुर बनाम तहसीलदार में पारित आदेश दिनांक 07–07–2010 के विरूद्ध मुख्यतः इन आधारों पर प्रस्तुत की गई है कि मा0 न्यायालय द्वारा बिना अवर न्यायालय की पत्रावली अभियाचित किये आदेश दिनांक 07–07–2010 पारित किया गया है क्योंकि अवर न्यायालय में जब सुनवाई हेतु तिथि 11–02–2009 तत्पश्चात 11–02–2009 एवं 13–02–2009 नियत की गई तो पत्रावली अंतिम तिथि 13–02–2009 को प्रस्तुत नही की गई तथा वाद में अपर लेखन कर 2 को काट कर 3 बनाया गया है तत्पश्चात निगरानीकर्ता बार बार तिथि पता करने न्यायालय में गया लेकिन पेशकार द्वारा बताया गया कि पत्रावली गुम हो गई है लेकिन बाद में बिना निगरानीकर्ता को सुने आदेश दिनांक 22–06–2010 पारित किया गया है। अतः निगरानी में पारित आदेश दिनांक 07–07–2010 अपास्त कर निगरानी को मूल नम्बर पर स्थापित करते हुए अवर न्यायालय की पत्रावली मंगाकर निगरानी का निस्तारण किया जाय।

हमनें पुनर्विलोकन प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने तथा मूल निगरानी पत्रावली का अवलोकन किया।

पुनर्विलोकन प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को ही दोहराया गया है।

मूल निगरानी पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि निगरानी तहसीलदार, विकासनगर के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या–3811 वर्ष 2005 शिवांग माथुर

बनाम चुन्नू आदि अन्तर्गत धारा–34 भू0रा0अधि0 में पारित आदेश दिनांक 22–06–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई। आदेश दिनांक 22–06–2010 का अंश निम्नवत् हैः–

"मूल वाद संख्या–3811/2005 शिवांग माथुर बनाम चुन्नू आदि में पूर्व पारित दाखिल खारिज आदेश दिनांक 24–10–2005 के प्रभाव को प्रकीर्ण वाद में पूर्व पारित आदेश दिनांक 18–12–2018 के अनुसार पूर्व की भांति स्थगित किया जाता है तथा आदेश दिनांक 13–03–2009 निरस्त किया जाता है। इस आदेश का इन्द्राज आर–6 में दर्ज हो। पत्रावली नियत दिनांक को पेश हो।"

निगरानी पत्रावली पर प्रस्तुत आदेश दिनांक 13–03–2009 की छायाप्रति का भी अवलोकन किया गया जिसमें यह आदेश पारित किया गया है कि "पत्रावली पेश/पुकार कराई गई उभयपक्ष मय अधिवक्ता हाजिर आये उनके अधिविक्ताओं को सुना गया प्रतिवादी श्री शिवांग के द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ मा0 न्यायालय सिविल जज(जू0डि0) विकासनगर के द्वारा पारित आदेश की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत की गई जिसमे मा0 न्यायालय के द्वारा यथास्थिति के आदेश पारित किये गये हैं अतः उक्त वाद में न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–12–08 को निरस्त किया जाता है पत्रावली वाद अमल दरामद दिनांक 16–04–09 को पेश होवे।"

उक्त दोनो आदेशों से स्पष्ट है कि ये आदेश वादकालीन अन्तरिम आदेश है तथा नामान्तरण प्रकरण अभी पूर्णतः निस्तारित नही हुआ है तथा पक्षकारों को अवर न्यायालय मे अभी सुनवाई का अवसर प्राप्त है। विधितः वादकालीन ऐसे अन्तरिम आदेश के विरूद्ध निगरानी पोषणीय नही है जैसा कि तत्कालीन मा0 अपर मुख्य राजस्व आयुक्त द्वारा भी अपने आदेश दिनांक 07–07–2010 में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है।

उक्त के अतिरिक्त प्रार्थी को प्रश्नगत आदेश पारित किये जाने से पूर्व सुना गया है एवं पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में आदेश 47 नियम 1 सी0पी0सी0 के प्रावधानानुसार कोई आधार नही वर्णित है। इस दृष्टि से भी पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अस्वीकृत होने योग्य है।

चूंकि पुनर्विलोकन प्रार्थी को अवर नामान्तरण न्यायालय में अपना पक्ष व साक्ष्य रखने का समुचित अवसर प्राप्त है तथा मूल निगरानी अन्तरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है फलस्वरूप आदेश दिनांक 07–07–2010 में हस्तक्षेप का कोई विधिक आधार परिलक्षित नही होता है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किया जाता है। पत्रावली संचित हो।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)
दिनांकः 25.01.2018

एस0 रामास्वामी
अध्यक्ष।
दिनांकः 25.01.2018